रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 1985/चैत्र 14, 1907
No. 157] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 1985/CHAITRA 14, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1985

सा. का. नि. 345(अ) :—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15वां) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित कानून बनाती है, यथा—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1985 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जाएंगे ।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम (क) में "मनीआर्डर" शब्दों के स्थान पर "पासपोर्ट प्राधिकारी के नाम रेखित पोस्टल आर्डर भेजा जाए" शब्द रखे जाएं ।

[सं. 6/401/62/79]

वाई. एम. तिवारी, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

टिप्पणी :—भारत का राजपत्र, 1980 (असाधारण) भाग-2, खंड-3, उप खंड (1) में 11 दिसम्बर, 1980 को अधिसूचना सं. जी एस आर-691(ई) द्वारा प्रकाशित मूल्य नियम ।

इसके द्वारा संशोधित :—

(1) अधिसूचना सं. जी एस आर-50 (ई) तारीख : 7 फरवरी, 1981 ।

(2) अधिसूचना सं. जी एस आर-469 (ई) तारीख : 24 जून, 1982 ।

(3) अधिसूचना सं. जी एस आर-325 (ई) तारीख : 12 अप्रैल, 1983 ।

(4) अधिसूचना स. जी एस आर-494 (ई) तारीख : 16 जून, 1983 ।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1985

GSR 345(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act ,1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 9 to the Passports Rules, 1980, for the words "money order to" the words "crossed postal order drawn in favour of the passport authority" shall be substituted.

[No. VI/401/62/79]

Y. M. TIWARI, Jt. Secy. (CPV).

Note:—Principal rules published vide notification No. GSR 691(E) dated 11th December, 1980, Gazette of India 1980 (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub Section (i) subsequently amended by :—

(i) Notification No. GSR 50(E) dated 7th February, 1981.

(ii) Notification No. GSR 469(E) dated 24th June, 1982.

(iii) Notification No. GSR 325(E) dated 12th April, 1983.

(iv) Notification No. GSR 494(E) dated 16th June, 1983.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985